न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री श्योराम वर्मा आर.एस.

राजस्व वाद सं. 43 / 2016

1. भंवरसिंह पुत्र स्व. कल्याणसिंह जाति राजपूत उम्र 70 वर्ष निवासी सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)
2. पूर्णसिंह पुत्र स्व. कल्याणसिंह जाति राजपूत उम्र 65 वर्ष निवासी सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)

.......वादीगण.......

बनाम

1. श्रीमती समुन्द्र कंवर धर्मपत्नी स्व. कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासीनी सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)
2. रणजीतसिंह पुत्र स्व. कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासीनी सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)
3. उप पंजियक बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)
4. मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
5. मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा ईयारां तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू (राज.)

........प्रतिवादीगण........

उपखण्ड अधिकारी बीदासर

निर्णय *दिनांक* 08-02-2021

<u>दावा घोषणात्मक रेकार्ड दुरूस्ती चिर निषेधाज्ञा</u>

उपस्थिति :-

1. विद्वान अधिवक्ता श्री रामसिंह राठौड़ वादीगण की और से
2. विद्वान अधिवक्ता श्री ज्ञानाराम चौधरी प्रतिवादी सं. 1 व 2 की और से
3. राज पैराकार उपस्थित

दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पास पैतृिक खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 7 तादादी 80 बीघा 8 बिश्वा व खेत खसरा नम्बर 618/318 तादादी 19 बीघा 8 बिश्वा कुल तादादी 99 बीघा 16 बिश्वा वाके रोही ग्राम सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राज[illegible] संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि हैं। वादगत खसरेजात की भूमि में कई वर्ष पूर्व मौखिक रूप से अलग-अलग काश्त करना तय कर लिया था परन्तु विधिवत रूप से वादगत भूमि [illegible] में संयुक्त खातेदारी में चली आ रही हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्व. कल्याणसिंह के जाय[illegible] वारिसान हैं। वादगत भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का 1/4-1/4 [illegible]

लगातार---2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.03.10 17:06:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

बहिस्सा बराबर भूमि खातेदारी अधिकार की है। वादीगण की माता फूल कंवर का स्वर्गवास हो जाने के बाद स्व. कल्याणसिंह ने प्रतिवादी सं. 1 समुन्द्र कंवर से शादी कर ली थी। प्रतिवादी सं. 1 के एक पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 रणजीतसिंह हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 1 के एक पुत्र रणजीतसिंह होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण से दुर्भावना रखती एवं अपने खातेदारी हिस्से पांति भूमि को दिनांक 02.05.2016 को बाला–बाला प्रतिवादी संख्या 1 समुन्द्र कंवर ने हक परित्याग अपने पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 अकेले के पक्ष में तस्दीक करवाया दिया जो गैर कानूनी तरीके से किया गया हैं। वादगत सम्पूर्ण भूमि पैतृक भूमि सम्पति हैं। जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को स्व. कल्याणसिंह के उतर जीवी होने के कारण स्व. कल्याणसिंह से उतराधिकार में प्राप्त हुई हैं। कानूनन संयुक्त खातेदारी की भूमि में संयुक्त खातेदार का ससम्मान हक हिस्सा बराबर होता हैं। कोई भी संयुक्त खातेदार अपने हिस्से की खातेदारी का हक परित्याग (दस्तबरदारी) विशिष्ट सहखातेदार के पक्ष में कानूनन नहीं कर सकता। कानूनी दृष्टि से हक परित्याग सभी सहखातेदारान के पक्ष में बहिस्सा बराबर किया जाता हैं तथा वादीगण के कानूनी अधिकारों के मुकाबले हक परित्याग पत्र दिनांक 02.05.2016 शून्य व निष्प्रभावी हैं। उक्त हक त्याग के जरिये प्रतिवादी संख्या 2 के नाम राजस्व रेकार्ड में गलत हिस्सा कसी दर्ज हुई हैं को दुरूस्त करवाने के लिये व उक्त गलत राजस्व रेकार्ड को शुन्य व निष्प्रभावी घोषित करवाने के लिए दिनांक 22.07.2016 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को निवेदन किया जिस पर प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। वादीगण ने यह घोषणात्मक, रेकार्ड दुरूस्त व चिर निषेधाज्ञा का दावा पेश किया हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से श्री ज्ञानाराम चौधरी एडवोकेट उपस्थित आये व राज पैरोकार उपस्थित हुये।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से वादीगण के दावे का जवाब पेश किया गया। प्रतिवादीगण ने वादीगण के दावे को स्वीकार किया हैं। और कथन किया हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 का भरण पोषण नहीं करने व दुर्भावना रखने के कारण व मां स्वीकार नहीं करने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में हक परित्याग किया हैं। जवाब दावा में वादगत भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने पैतृक भूमि होना स्वीकार किया हैं औरं हक परित्याग को निरस्त किये बिना रेकार्ड संशोधन करने का अधिकार नहीं हैं और दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया हैं। दौरा[illegible]ण वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 02.0[illegible] को राजीनामा पेश कर दिया और राजीनामा के आधार पर [illegible] निवेदन किया हैं। मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू 1 भंवरसिंह वादी के बयान करवाये गये [illegible] दस्तावेजी साक्ष्य में प्रमाणित

लगातार___3 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:06:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

नकले नक्शा ट्रेस प्रदर्श–1, जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 प्रदर्श–2, नामान्तरण संख्या 152 प्रदर्श–3 व हक परित्याग पत्र दिनांकित 02.05.2016 प्रदर्श–4 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये हैं।

बहस सुनी गई वादीगण व प्रतिवादीगण ने राजीनामा के मुताबिक दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया तथा न्यायालय के समक्ष वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने उपस्थित होकर दिनांक 02.02.2021 को राजीनामा पेश कर दिया हैं तथा राजीनामा न्यायालय द्वारा तस्दीक किया जा चुका हैं। वादी भंवरसिंह के बयान लेखबद्ध करवाये गये हैं तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 से प्रदर्श–4 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। प्रदर्श–4 हक परित्याग पत्र दिनांकित 02.05.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया हैं वोह वादीगण के कानूनी अधिकारों के मुकाबले शुन्य व निष्प्रभावी हैं तथा वादगत भूमि पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि हैं। संयुक्त खातेदारी भूमि का हक त्याग अकेले एक सह खातेदार के पक्ष में कानूनन नहीं किया जा सकता। सभी सह खातेदार के पक्ष में किया गया हक त्याग कानूनन बहिस्सा बराबर माना जाता हैं। इस संबंध में वादीगण के अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टान्त 2014 (1) RRT पेज 509 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फोर राजस्थान अजमेर कमलादेवी आदि बनाम चम्पालाल आदि पेश किया।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक सूक्ष्मता से अवलोकन किया। पत्रावली पर वादीगण ने व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दिनांकित 02.02.2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश कर तस्दीक करवाया हैं तथा वादी भंवरसिंह के बयान करवाये हैं। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 लगायत प्रदर्श 4 दस्जावेज प्रदर्शित करवाये हैं। राजीनामा में हक परित्याग पत्र दिनांक 02.05.2016 प्रदर्श 4 को वादीगण के कानूनी अधिकारो के मुकाबले निरस्त व शुन्य घोषित किया जावे व प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया गया हक त्याग प्रदर्श 4 विधि विरूद्ध व निरस्त घोषित करते हुये उक्त हक परित्याग पत्र दिनांक 02.05.2016 प्रदर्श 4 को प्रतिवादी संख्या 1 समुन्द्र कंवर के तीनों पुत्र वादीगण भंवरसिंह, पूर्णसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 रणजीतसिंह के पक्ष में कानूनी दृष्टि से समुन्द्र कंवर का 1/4 हक हिस्सा भूमि को बहिस्सा बराबर मानते हुये हक तर्क को माना जावे तथा वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 2 रणजीतसिंह का 1/2 हिस्सा दर्ज हैं को निरस्त कर वादगत खेतो की खातेदारी भूमि में वादी संख्या 1 भंवरसिंह को 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 2 पूर्णसिंह को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 रणजीतसिंह को 1/3 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जावे। न्यायि[...] 2014 (1) RRT पेज 509 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फोर राजस्थान अजमेर कमलादेवी आदि बनाम चम्पालाल आदि का ससम्मान पूर्वक अध्ययन किया, [...] उक्त न्यायिक दृष्टान्त में सहखातेदार द्वारा संयुक्त खातेदारी भूमि में से हक परित्या[...]क अकेले खातेदार अपने पुत्र के पक्ष में नहीं किया जा सकता हैं तथा सभी सहखातेदारान के पक्ष में किया गया हक परित्याग बहिस्सा बराबर माना जाता हैं व ए.आई.आर. 2003 आन्ध्रप्रदेश पेज नं. 498 में यह

लगातार ___4 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:06:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया हैं कि एक सहखातेदार हक परित्याग पत्र के माध्यम से अपना हिस्सा सभी सहखातेदारों के पक्ष में छोड़ सकता हैं। किसी विशिष्ट एक सहखातेदार के पक्ष में हक परित्याग नहीं कर सकता हैं। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि की सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 1 समुन्द्र कंवर पत्नी स्व. कल्याणसिंह ने अपना हिस्सा अपने एक पुत्र प्रतिवादी संख्या 2 रणजीतसिंह के पक्ष में हक परित्याग पत्र के माध्यम से छोड़ा गया हैं जबकि उसके पुत्र वादीगण वादगत भूमि के सहखातेदार थे। कानूनी प्रावधानो के मुताबिक हक परित्याग पत्र दिनांक 02.05.2016 वादीगण के कानूनी अधिकारों के मुकाबले शून्य व निरस्त किये जाने योग्य है इसलिये हक परित्याग पत्र दिनांक 02.05.2016 प्रदर्श 4 वादीगण के कानूनी अधिकारों के मुकाबले निरस्त व शून्य घोषित किया जाता हैं तथा हक परित्याग पत्र दिनांक 02.05.2016 को स्व. कल्याणसिंह के तीनो पुत्र वादीगण भंवरसिंह, व पूर्णसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 रणजीतसिंह के पक्ष में वादगत भूमि में बहिस्सा बराबर मानते हुये हक त्याग को माना जाता हैं। उक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण पर हुबहु चस्पा होता हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो चुका हैं और अब कोई विवाद शेष नहीं हैं। वादीगण का घोषणात्मक वाद डिक्री किया जाना उचित हैं। वादीगण का दावा स्वीकार किया जाता हैं।,

अतः वादीगण का घोषणात्मक वाद जरिये राजीनामा के आधार पर अंतिम रूप से डिक्री किया जाता हैं कि खेत खसरा नम्बर 7 तादादी 80 बीघा 8 बिश्वा व खेत खसरा नम्बर 618/318 तादादी 19 बीघा 8 बिश्वा वाके रोही ग्राम सडू बड़ी तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान की भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 समुन्द्र कंवर के द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किया गया हक परित्याग पत्र दिनांक 02.05.2016 को वादीगण के कानूनी अधिकारों के मुकाबले शून्य व निरस्त घोषित करते हुये प्रतिवादी संख्या 2 रणजीतसिंह का नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड में 1/2 हिस्सा का खातेदार दर्ज हैं को निरस्त करते हुये हक परित्याग पत्र दिनांक 02.05.2016 को वादीगण भंवरसिंह, पूर्णसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 रणजीतसिंह के पक्ष में बहिस्सा बराबर मानते हुये वादी भंवरसिंह को 1/3 हिस्सा, वादी पूर्णसिंह को 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 रणजीसिंह को 1/3 का वादगत भूमि में खातेदार घोषित किया जाता हैं तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 की भूमि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के रहन हैं रहन मुक्त नहीं हुई हैं तो यथावत रखी जावे। प्रतिवादी संख्या 6 को आदेशित किया जाता हैं कि निर्णय व डिक्री के मुताबिक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो तथा [illegible] पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 8/7/2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:06:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

Scanned by CamScanner